



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 31.01.2026

विषय:- फर्जी GST बिलिंग एवं ₹54 करोड़ के ITC फ्रॉड के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 25000/- का इनामिया मुख्य अभियुक्त गिरफ्तारा।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन महोदय , श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन महोदय व श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सर्किल कैण्ट कमिं0 वाराणसी महोदय के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध "जीरो टालरेन्स" की नीति अपनाते हुए कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने तथा अभियोगों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक कैण्ट की टीम द्वारा थाना कैंट, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 423/2025, अंतर्गत धारा 316(2) /318(4) /319(2) /338 /336(3) /420(2) /61(2) BNS में फर्जी GST बिलिंग एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) फ्रॉड के एक संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक 25000/- का इनामिया मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

अपराध का तरीका (Modus Operandi):

विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण द्वारा कागजी/फर्जी फर्मों का निर्माण कर बिना किसी वास्तविक माल की खरीद-फरोख्त के GST पोर्टल पर फर्जी इनवॉयस एवं रिटर्न तैयार किए जाते थे। इन फर्जी इनवॉयसों के आधार पर रजिस्टर्ड कंपनियों को कच्चा माल (लोहा/स्क्रैप आदि) बेचा हुआ दर्शाया जाता था, जबकि वास्तविकता में किसी प्रकार की भौतिक आपूर्ति नहीं होती थी। इस प्रकार फर्जी फर्मों के माध्यम से अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ दिलाया जाता था, जिससे सरकारी राजस्व को भारी क्षति पहुंचाई जाती थी। प्रथम दृष्टया जांच में यह सामने आया है कि इस संगठित फर्जीवाड़े के माध्यम से लगभग ₹54 करोड़ (चौवन करोड़ रुपये) के GST राजस्व की चोरी की गई है।

गिरफ्तारी का विवरण:

उपरोक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त को पंजाब प्रांत से विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सा पुत्र – बलजीत सिंह निवासी – 84 कोटला डढेरी, थाना मंडी गोविंदगढ़, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब उम्र – लगभग 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:

अभियुक्त के कब्जे से लैपटॉप, टैबलेट एवं कई मोबाइल फोन, फर्जी फर्म A/S Works से संबंधित दस्तावेज पहचान पत्र एवं बैंकिंग से संबंधित सामग्री बरामद की गई है, जिन्हें विधि अनुसार सील कर जब्त किया गया है।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

- मु0आ0सं0 423/2025, अंतर्गत धारा 316(2) /318(4) /319(2) /338 /336(3) /420(2) /61(2) BNS थाना कैंट कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

थाना कैंट टीम:- प्र०नि०शिवाकांत मिश्रा , उ०नि० , उ०नि० अभिषेक सिंह थाना कैंट कमिश्नरेट वाराणसी।

एस०ओ०जी० टीम

उप निरीक्षक गौरव कुमार सिंह , आरक्षी आलोक कुमार मौर्य , आरक्षी दिनेश कुमार , आरक्षी उपेंद्र कुमार यादव एस०ओ०जी० टीम कमिश्नरेट वाराणसी।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।